रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 1984/भाद्र 28, 1906
No. 370] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 19, 1984/BHADRA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1984

सा. का. नि. 673 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 1962 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

आयुध नियम, 1962 के नियम 46 के उप-नियम (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि अग्न्यायुध धारा 3 की उप-धारा (2) के परन्तुक के परिणाम-स्वरूप निक्षिप्त किए जाते हैं तो एक वर्ष और छः मास ।"

[सं. वी.-11012/4/84-जी पी. ए.5]
एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1984

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely :—

In sub-rule (4) of rule 46 of the Arms Rules, 1962, after clause (b), the following clause shall be inserted namely :—

"(c) one year and six months if the firearms are deposited as a consequence of proviso to sub-section (2) of section 3."

[No. V-11012/4/84-GPA-V]
S. R. ARYA Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984